सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से भारतीय समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र की जांचः प्रतिबिंब और प्रतिमान

श्याम एस. सलिम और अनुजा ए. आर.
भा कृ अनु प-केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्ची, केरल
ई-मेलः shyam.icar@gmail.com

भारत दुनिया का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहाँ वर्ष 2019-20 के दौरान का कुल उत्पादन 14.16 मिलियन टन (वर्ष 2018-19 में 13.7 मिलियन टन था) था, जो कुल सकल मूल्य वर्धन में टिकाऊ वृद्धि दिखाता है। भारत का मत्स्यन उप-क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का लगभग 0.47 प्रतिशत है, और ग्रामीण तटीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक भी है, जो 8 समुद्रवर्ती तटीय राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रें में फैली हुई भारतीय तटरेखा के आकलित 3.52 मिलियन लोगों के लिए आय, रोजगार, आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। विस्तृत तटरेखा और विविध अंतर्देशीय जल पारिस्थितिक तंत्र देश को घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और 100 से अधिक देशों में निर्यात करने की क्षमता से युक्त है। वर्तमान समुद्री मछली अवतरण 3.06 मिलियन आकलित किया गया है, जिसमें वर्ष 2020 की अपेक्षा 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में, कुल समुद्री मछली का मूल्यांकन पहली बिक्री पर 53647 करोड़ रुपए और अंतिम बिक्री पर 76639 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। कोविड उपरांत अवधि के दौरान अवतरण और खुदरा केन्द्रों में राजस्व प्राप्ति में क्रमशः लगभग 17.85 और 19.25 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर रही है।

वर्ष 2021 के दौरान समुद्री मछली अवतरण का अनंतिम मूल्यांकन अवतरण केन्द्र के स्तर पर 56136 करोड रुपए और खुदरा केन्द्र के स्तर पर 79612 करोड़ रुपए आकलित किया गया है, जो पिछले दो दशकों के दौरान पांच गुना वृद्धि दिखाता है। उपभोक्ताओं के उत्पादक हिस्से का निर्धारण करने वाली विपणन क्षतमा में देश भर में सुधार देखा जा रहा है। तटीय राज्यों में विपणन दक्षता 70.51 देखी गयी। समुद्री मछली अवतरण का सबसे अधिक हिस्सा तमिल नाडु द्वारा योगदान दिया गया, इसके बाद गुजरात और केरल का स्थान है।

भारत में कुल समुद्री उत्पादन के दो-तिहाई भाग की घरेलू खपत की जाती है और शेष एक-तिहाई भाग का निर्यात किया जाता है। देश की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा और रोजगार सृजन, आजीविका सुरक्षा, और मछुआरा समुदायों का कल्याण सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए समुद्री मछली आपूर्ति श्रृंखला का महत्व बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, बढ़ती हुई क्रय शक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वाद की पसंद के साथ घरेलू बाजार में मछली उत्पादन प्रणाली में विविधीकरण और उच्च मूल्य वाली मछली व्यापार के लिए व्यापक संभावनाएं हैं।

सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण

देश में कुल मछली उत्पादन में लगभग 25.14 प्रतिशत योगदान के बीच समुद्री मात्स्यिकी सकल घरेलू उत्पाद के 47 प्रतिशत का योगदान भी देता है। समुद्री मछलियों की औसत इकाई मूल्य प्राप्ति (191 रु./कि.ग्रा.) अंतर्देशीय मछलियों (65रु./कि.ग्रा.) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। जी वी ए में समुद्री मात्स्यिकी का हिस्सा 0.47 प्रतिशत है और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 3.2 प्रतिशत है। मूल्य के प्रसंग में निर्यात लाभ का योगदान 35 प्रतिशत और मात्रा के प्रसंग में 53.56 प्रतिशत है। क्षमता, रोजगार, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, व्यापार, समानता और निर्यात के संदर्भ में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र का गुणक प्रभाव समुद्री मछुआरों की आजीविका और टिकाऊ समुद्री मात्स्यिकी प्रबंधन पर काफी प्रभाव डालता है। इसके विपरीत, समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र कई अशांत कारकों

से जूझ रहा है, जिनमें निरंतर प्रौद्योगिकी अभियान, अधिक पूंजीकरण और मशीनीकरण, प्रति इकाई प्रयासों में कमी, किशोर मछली पकड़/छोड़ देना/ अवैध मत्स्यन, प्रच्छन्न रोजगार, क्षेत्रीय अवतरण/ संघर्ष, कम विपणन सीमा और मूल्य वर्धन सम्मिलित हैं। मत्स्यन के अधिकारों की कमी और प्रबंधन दुविधा, संस्थागत ऋण की कमी, जलवायु परिवर्तन/ जैव विविधता की हानि, सामाजिक पूंजी की हानि और ढांचागत अपर्याप्तता इस क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों की गंभीरता को और भी बढ़ाते हैं।

सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण मुख्यतः एक गतिशील समाज के अंदर सामाजिक प्रक्रियाओं और आर्थिक गतिविधि के बीच परस्पर क्रिया कायम रखने का प्रयास करता है। सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण ने 19 घटकों की पहचान की, जो गतिशील पर्यावरण और संसाधनों के साथ एक जटिल संबंध की परिकल्पना करते हैं, जिससे निरंतर मछुआरा कल्याण और टिकाऊ समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर में विभिन्न कमियाँ होती हैं। विभिन्न हितधारक जैसे, मछुआरे, महिलाएं, मज़दूर, विपणन कार्यकर्ता, निर्यातक और उपभोक्ताओं सहित अन्य मूल्य श्रृंखला संघटक अक्सर इन घटकों के प्रदर्शन से अलग-अलग स्तरों पर प्रभावित होते हैं। यह दृष्टिकोण प्रस्तावित परिवर्तन के प्रभावों की संभावित सीमा और परिवर्तन होने पर प्रभावित लोगों की संभावित प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। यह दृष्टिकोण चुनौतियों और अवसरों का चित्रण करने, संघटकों के अंदर और उनके बीच संभावित परस्पर क्रियाओं को पहचानने का प्रयास करता है। विभिन्न घटकों का मूल्यांकन इस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा और उच्च, मध्यम और निम्न के रूप में तत्काल जुडाव की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

उच्च प्रभाव के घटक

(i) रोजगारः समुद्री मात्स्यिकी मौसमिक स्वभाव का है। टिकाऊ वैकल्पिक आजीविका प्रदान करते हुए पारंपरिक मछुआरा समुदाय की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही इस क्षेत्र में कुशल श्रम की अनुपलब्धता और मछुआरे युवाओं द्वारा नौकरी छोड़ने की समस्याओं का सामना कर रहा है। बेहतर शिक्षा और रोजगार की संभावनाओं के कारण मछुआरा युवा लोग प्राथमिक से माध्यमिक उपजीविका की ओर प्रवास कर रहे हैं। श्रम में मांग-आपूर्ति के अंतर को तटीय और गैर-तटीय राज्यों से श्रमिकों के प्रवास द्वारा संबोधित किया जाता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में श्रमिकों के प्रवास से होने वाले सांस्कृतिक और

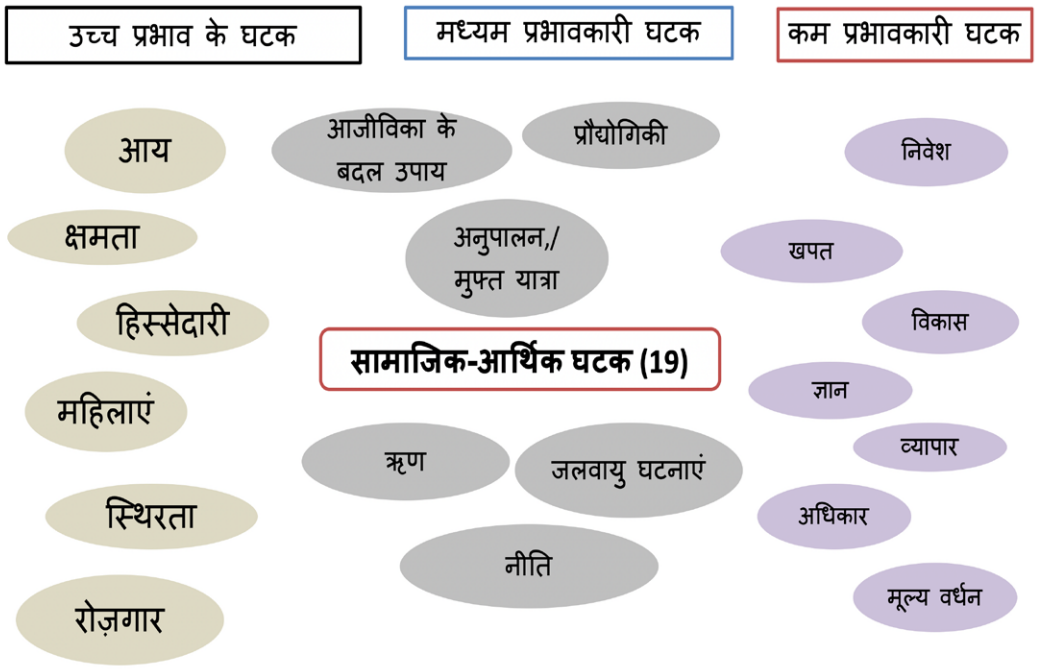

चित्र : समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाला सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण

सामाजिक-आर्थिक झटके भी महत्वपूर्ण हैं।

(ii) हिस्सेदारीः आय, रोजगार और आजीविका उत्पन्न करने में पारंपरिक मात्स्यिकी प्रमुख भूमिका निभाने पर भी, अत्यधिक यंत्रीकृत क्षेत्र की वजह से धन का असमान चिंता का कारण बन गया है। विभिन्न हितधारकों की जरूरतों का संतुलन करना एक और बड़ी बाधा है। कुल समुद्री प्रग्रहण मात्स्यिकी उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत कारीगर और छोटे पैमाने के मछुआरों, जो जनशक्ति के मामले में इस क्षेत्र पर हावी है, द्वारा योगदान दिया जाता है। पारंपरिक क्षेत्र को लगातार सीमांत करने से इस क्षेत्र में मजदूरों को यंत्रीकृत मजदूरों के रूप में विनियोजित किया जा सकता है।

(iii) क्षमताः अवतरण और कीमत के मामले में क्षमता यान, गिअर, मत्स्यन तल, मत्स्यन अवधि, पकड़ी गयी प्रजातियाँ आदि कई कारकों पर निर्भर होती है। मत्स्यन परिचालन में मुख्य रूप से ईंधन और कुशल श्रम शामिल होता है, इसलिए यंत्रीकृत और मोटोरीकृत क्षेत्र में प्रति इकाई पकड़ प्रयास अधिक होता है।

(iv) आयः मछुआरों की आय उनका सामाजिक-आर्थिक स्तर निर्धारित करने का आदर्श मानदंड है। शिक्षा, अनुभव, ज्ञान और अभिवृत्ति को देखते हुए मछुआरों की आय प्राथमिक रूप से मत्स्यन परिचालन और इसके परिणामस्वरूप होने वाली पकड़ और अवतरण पर निर्भर है। मछली पकड़ के अतिरिक्त प्राप्त आय सीमित होने के कारण इस क्षेत्र पर अधिक निर्भरता है। मछली पकड़ से आय मौसमी होने के कारण, मछुआरे अपनी वित्तीय और सामाजिक जरूरतों को ऋण के माध्यम से मिलने वाली बचत से पूरा करते हैं। सरकार के समर्थन और कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ बेहतर सामाजिक मानक मछुआरा परिवारों की आर्थिक भलाई को प्रभावित करने वाले घटक हैं।

(v) महिलाएं: महिलाओं की भूमिका (अदृश्य) हमेशा स्पष्ट नहीं हुई थी और मछुआरा विकास के क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा। मछली विपणन और प्रसंस्करण, जो गुणता आश्वासन और मूल्य वर्धन का मुख्य भाग है, के कार्यों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। घरेलू और मूल्य श्रृंखला में महिलाओं द्वारा निभायी जाने वाली कई भूमिकाएं जेंडर मुख्य धारा में विभिन्न अवसर विकसित करने की आवश्यकता को पूरा करती हैं।

(vi) टिकाऊपनः भारत में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र बहु-गिअर बहु-यान और बहुविध हितधारकों के कारण बहुआयामी बाधाओं का सामना करता है। प्रादेशिक समुद्र में समुद्री मछली प्रग्रहण के विकास की गुंजाइश सीमित है। समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। समुद्री मत्स्यन प्रबंधन के विभिन्न उपकरण, जिनमें निवेश और लाभ प्रबंधन शामिल है, मात्स्यिकी संसाधनों और पर्यावरण के टिकाऊपन के लिए अच्छा उपाय है। टिकाऊपन से संबंधित समस्याएं स्थानीय स्वभाव की होती हैं और सामूहिक प्रबंधन हितधारकों के सहयोग से शुरू किया जा सकता है।

क. मध्यम प्रभावकारी घटक

(i) अनुपालन/फ्री राइडरः समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र, गैर-बहिष्करण और गैर-प्रतिस्पर्धा के साथ एक स्वाभाविक संसाधन प्रणाली होने के कारण, कई हितधारक सीमांत लाभ की तुलना में बहुत कम सीमांत निकास लागत के साथ विभिन्न समुद्री संसाधनों के फसल संग्रहण के लिए प्रेरित होते हैं। हालांकि, भविष्य के लिए इन संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की बात आती है, तो इन फ्री राइडरों का मुद्दा सामने आता है। सामान्य जन की त्रासदी इन "फ्री-राइडरों" का गैर-संबोधन या गैर-पहचान है कि कौन, कैसे, कब, किसे और प्रबंधन के संभावित उपाय क्या हैं। हितधारक अक्सर प्रबंधन की जिम्मेदारी दूसरे पर डालते हैं, जिससे खराब प्रबंधन की स्थिति गैर-प्रबंधन की ओर ले जाती है। नियमों व विनियमों और अन्य प्रबंधन उपायों के अनुपालन के लिए एक सामाजिक लागत की आवश्यकता होती है। इस सामाजिक लागत का वहन करने के लिए सरकार द्वारा एक ढांचा तैयार किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी संसाधनों के प्रबंधन से

संबंधित मुद्दों का सामना करने के लिए पुरस्कारों और दंडों की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) नीतिः मात्स्यिकी एक राज्य से संबंधित विषय होने के कारण एक सक्षम नीतिगत वातावरण के साथ एक व्यापक नीतिगत ढांचा विकसित करना समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने से बेहतर प्रयोज्यता और स्वीकार्यता सुनिश्चित करना आसान होता है। समय बीते-बीते वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति सीमित की जाती है, फिर भी भारतीय मात्स्यिकी नीति 2020 की दिशा में पहल और विचार-विमर्श स्वीकार्य हैं।

(iii) चरम घटनाएं/जलवायु परिवर्तनः पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक विकास चालकों पर जलवायु परिवर्तन का बहु-आयामी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकारों और अन्य हितधारकों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथोचित शमन और अनुकूलन योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है। तटीय मछुआरा समुदाय कमजोर हैं और जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों की अग्रिम पंक्ति में रहने वाले हैं क्योंकि समुद्र स्तर में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के सबसे साधारण प्रभवों में से एक है। समुद्र जल तापमान और धारा प्रवाह में होने वाले परिवर्तन से समुद्री मछली प्रभव के वितरण में बदलाव होने की संभावना है, इसके फलस्वरूप इनके वितरण और उपलब्धता में भी प्रभाव पड़ता है। ये परिवर्तन वाणिज्यिक मात्स्यिकी के स्वभाव और मूल्य पर भी प्रभावित होते हैं। कई कारीगरी मछुआरे बेहद गरीब हैं और स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं की सीमित पहल के साथ सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सीमांत हैं। अनुकूलन की कम क्षमता के साथ लघु पैमाने पर और प्रवासी मछुआरे कम मत्स्यन दिनों और संपत्ति के नुकसान के अलावा जलवायु प्रभावों के परिणामस्वरूप होने वाले प्राकृतिक पूंजी के नुकसान के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं।

(iv) क्रेडिट/अनर्जक परिसंपत्तियाँ (एन पी ए): समय पर संस्थागत ऋण तक पहुंच मछुआरा समुदाय के लिए प्रमुख सीमित कारक है। इस तरह की प्रशासनिक देरी से अनौपचारिक गैर-संस्थागत स्रोतों जैसे साहूकारों, बाजार मध्यस्थों, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल किया जाता है। इसके अलावा, अनर्जक वास्तविक परिसंपत्ति बनाने और सामाजिक और पारिवारिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इन ऋणों का उपयोग करने से खराब क्रेडिट प्रबंधन होता है। सहकारी समितियों, स्वयं सहायक समूहों और सूक्ष्म उद्यमों की शुरुआत स्वागत योग्य संकेत हैं, लेकिन मछुआरों के बीच व्यापक रूप से चालू नहीं होने लगे हैं।

(v) व्यापारः समुद्री मछली अवतरण और व्यापार केन्द्रों के बीच काफ़ी समय और स्थान अंतराल है, जिससे बड़ी संख्या में विपणन मध्यस्थों को एजेन्ट और व्यापारी मध्यस्थों दोनों के रूप में शामिल किया जाता है। समुद्री मछली आपूर्ति श्रृंखला में विपणन दक्षता का आकलन प्रमुख प्रजातियों में उपभोक्ता के रुपए में मछुआरों के हिस्से के रूप में किया जाता है। उपभोक्ता के रुपए में भारत के औसत मछुआरों का हिस्सा-विपणन दक्षता का एक संकेतक-65.9% है। फिर भी, समुद्री मछली आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में समुद्री राज्यों, मछली प्रजातियों, मौसमों, अवतरण स्रोतों और बाजारों में उल्लेखनीय विसंगतियाँ मौजूद हैं। राज्यों में विपणन दक्षता 0.58 से 0.69 तक काफी भिन्न है। विभिन्न तटवर्ती राज्यों के बीच, केरल में उच्चतम विपणन दक्षता (69 प्रतिशत) दर्ज की गयी है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा समुद्री मछली विपणन चैनलों में होने वाली कमियाँ लागत, फसल संग्रहणोत्तर नुकसान और पहुँच में अक्षमताओं को बढ़ा देती हैं। हाल ही में, मछली और मछली उत्पाद भारत से कृषि निर्यात में सबसे बड़े ग्रुप के रूप में उभर रहे हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने 46,663 करोड़ रुपए मूल्य के 1.29 मिलियन टन समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात किया। आशाजनक संभावनाओं के बावजूद, देश का समुद्री निर्यात क्षेत्र उदारीकरण के बाद बहुआयामी चुनौतियों का अनुभव करता है। निर्यात क्षेत्र को निर्यात

के विरोधाभास की विशेषता है, जहाँ निर्यात राजस्व को मूल्य प्रभाव की तुलना में मात्रा प्रभाव से अधिक महसूस किया जाता है। निर्यात टोकरी उपभोक्ताओं की मछली खाद्य सुरक्षा वृद्धि के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।

(vi) प्रौद्योगिकीः भारत में समुद्री मछली उत्पादन पिछले तीन दशक के दौरान प्रौद्योगिकी के नवाचार के साथ-साथ इस क्षेत्र में व्यापक निवेश के साथ चौगुना बढ़ गया है। मछली एकत्रीकरण, पहचान और संचार की दिशा में उपकरणों के साथ यह क्षेत्र पूंजी प्रधान हो गया है। तकनीकी विकास की अधिकता इस तथ्य से समझा जा सकता है कि मशीनीकृत और मोटोर चालित क्षेत्र एक साथ समुद्री मात्स्यिकी में कुल पकड़ का लगभग 98 प्रतिशत योगदान करते हैं। प्रौद्योगिकियाँ अधिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, इसलिए नकद से प्रभावित मछुआरे मत्स्यन परिचालन में लाभप्रद रूप से लगे होने में असमर्थ होते हैं।

(vii) आजीविका के वैकल्पिक रास्ते: समुद्री मात्स्यिकी में, समुद्री संवर्धन और प्रग्रहण पर आधारित अन्य जलजीव पालन प्रणालियाँ मछुआरों के लिए रोजगार के अवसर और आजीविका के विकल्प प्रदान करती हैं। मुख्य फोकस के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के साथ एक सार्वजनिक-निजी सामुदायिक सहभागिता से अनुभवी मछुआरों को वर्ष भर का रोजगार प्राप्त करने और आय एवं आजीविका बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिर भी, आजीविका के वैकल्पिक रास्ते के कार्यान्वयन में बीमा की कमी, ऋण लेना, कानूनों और पट्टे पर देने के अलावा निवेश और शक्य उम्मीदवार प्रजातियों की कमी आदि शुरुआती समस्या होती है।

क. कम प्रभावकारी घटक

(i) अधिकारः मछली की उपलब्धता निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण निवेश ईंधन है। तटीय क्षेत्र में मछली उपलब्ध होने पर यंत्रीकृत, मोटोरीकृत और पारंपरिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच स्पर्धा उत्पन्न होती है। मशीनीकृत क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी और पूंजी प्रवाह को देखते हुए, पारंपरिक क्षेत्र को कम प्रति इकाई पकड़ प्रयास और अन्य विपणन अवसरों में नुकसान हो सकता है। इसलिए मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक मछुआरों को मत्स्यन के प्राथमिक अधिकार हस्तांतरित करना समय की आवश्यकता है। इनमें ये बातें शामिल हो सकता है कि (क) पहुँच अधिकार, जो मात्स्यिकी या विनिर्दिष्ट मत्स्यन तल में प्रवेश प्राधिकृत करता है, (ख) निकासी (फसल संग्रहण) अधिकार, जिसमें आमतौर पर मत्स्यन प्रयास की निश्चित राशि (जैसा कि निश्चित समय तक या निश्चित गिअर के साथ मछली पकड़) का अधिकार या निश्चित पकड़ लेने का अधिकार शामिल है।

(ii) निवेशः समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में संग्रहणोत्तर प्रबंधन अवतरण केन्द्रों और मत्स्यन पोताश्रयों में कोल्ड स्टोरेज सुविधा की कमी, संचालन सुविधा की कमी आदि जैसी अपर्याप्त अवसंरचनाओं से ग्रस्त है। संग्रहणोत्तर प्रबंधन में होने वाला नष्ट, अपशिष्ट प्रबंधन, मध्यवर्तियों का शोषण, प्रसंस्करण में लगी हुई महिलाओं का कठिन परिश्रम, प्रमाणीकरण और पता लगाने की सुविधा आदि देश में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र की वृद्धि को सीमित करने वाले अन्य कारक हैं। मछुआरों के बीच नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी की कमी और अनुपालन का निम्न स्तर भी हस्तक्षेप की प्रभावकारिता को सीमित करती हैं। पारंपरिक मछुआरे ऋण संकट के कारण पूंजी निवेश करने में कठिनाई का सामना करते हैं। लेकिन, विस्तृत मत्स्यन में लगे हुए क्षेत्र भारी पूंजी निवेश करते हैं। यह स्थिति दक्षता, पकड़ और आय में स्पष्ट रूप से अंतराल पैदा करती है।

(iii) उपभोगः देश में मछली का उपभोग तटीय समुद्री राज्यों की ओर हटता है। मछली खपत में वृद्धि मुख्य रूप से नए उपभोक्ताओं की तुलना में मौजूदा उपभोक्ताओं की बढ़ती खपत से होती है। स्थान और मौसम के आधार पर मछली प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण पसंद मौजूद है। मछली की खपत पर जागरूकता की कमी देश में मछली खपत बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख बाधा के रूप में जारी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (भा कृ अनु प-सी

एम एफ आर आइ) और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी) की पहल से विकसित मछली बाजार और मूल्य सूचना प्रणाली के माध्यम से लक्षित आबादी में मछली की बेहतर पहुँच, सामर्थ्य और उपलब्धता उत्पन्न की जा सकती है।

(iv) विकासः नीली अर्थव्यवस्था के प्रसंग में विभिन्न विकास मार्ग मछुआरों की आजीविका में प्रतिस्पर्धा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से बृहद् लाभों की ओर जाते वक्त मछुआरे अक्सर लघु नष्टों को भूल जाते हैं। निरंतर विकास कार्यसूची और मत्स्यन परिचालन के लिए मछुआरों की सीमित पहुँच नकारात्मक बाहरी कारक पैदा करती है, जिससे मात्स्यिकी क्षेत्र से मछुआरों की आजीविका, रोजगार के अवसर, पलायन और विस्थापन का नुकसान होता है।

(v) मूल्य वर्धनः मूल्य वर्धन प्रक्रियाएं आगे रोजगार और विदेशी मुद्रा आय उत्पन्न करती हैं। लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, तेज जीवनशैली, लघु परिवारों की वृद्धि, वैकल्पिक आजीविका विकल्प आदि भारत में इन उत्पादों की मांग में वृद्धि के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक हैं। निर्यात बाजार में विविध समुद्री खाद्य उत्पादों की शुरुआत से हमारे समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए उत्पाद स्वीकृति और बेहतर इकाई मूल्य प्राप्त होने में सुधार हुआ है। जहाँ तक मछली प्रसंस्करण उद्योग का संबंध है, मूल्य वर्धन लाभप्रदता बढ़ाने के संभावित तरीकों में से एक है क्योंकि यह उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और तेजी से महंगा होता जा रहा है।

(vi) ज्ञानः साक्षरता के सराहनीय स्तर, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता के साथ मछुआरों के ज्ञान क्षेत्र में कई दशकों में सुधार हुआ है। शिक्षा की बेहतर पहुँच और स्कूल छोड़ने वालों का न्यूनतम अनुपात मछुआरा युवाओं को सार्थक रोजगार हासिल करने में मददगार हुए। स्वास्थ्य की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में लिंगानुपात, निर्भरता अनुपात, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच, शिशु और मातृ मृत्यु की दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।

आगे की ओर

उपरोक्त सभी अशांतिपूर्ण चुनौतियों के बीच, भारत के समुद्री मत्स्यन उप-क्षेत्र में अधिक उत्पादक मछली स्टॉक के निर्माण के माध्यम से अधिक मूल्यवान संपत्ति आधार विकसित करने की क्षमता है। यह क्षेत्र भविष्य में अधिक उत्पादक मछली स्टॉक के निहित मूल्य पर कब्जा करके और हितधारकों के बीच बेहतर हिस्सेदारी प्रदान करके इन लाभों के वितरण में सुधार करके उच्च स्तर के स्थायी शुद्ध आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ उत्पन्न कर सकता है। वर्ष 2015 में 3000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गयी नीली क्रांति योजना उत्पाद, उत्पादकता और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकती है। मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के सृजन में निजी उद्यमियों और मछली पालनकारों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2019 में मात्स्यिकी और जलजीव पालन अवसंरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF)) की स्थापना की गयी थी। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020-21 से 2024-25) 20050 करोड रुपए के अनुमानित निवेश के साथ समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए, गहरा समुद्र के पोतों की संख्या और क्षमता को बढ़ाना, खुले पिंजरों की स्थापना और मशीनीकृत पोतों में जैव-शौचालय का निर्माण जैसे प्रमुख मुद्दों की पहचान की है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार द्वारा घोषित 20,000 करोड़ रुपए (2.7 बिलियन यु एस डॉलर) का प्रोत्साहन पैकेज, नीली अर्थव्यवस्था और हरित मत्स्यन के माध्यम से मात्स्यिकी के विकास के लिए काफी गुंजाइश देता है। मछुआरा विकास सूचकांक (Fisher Development Index (FDI)) में संसाधन उपलब्धता और स्थिरता मानकों को शामिल करते हुए मानव विकास सूचकांक पर प्रगति के रूप में मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आवधिक अनुपात-अस्थायी मूल्यांकन प्रदान करने की उम्मीद है। हितधारकों के साथ राजकोष के जुडाव के साथ ये प्रयास स्थायी समुद्री मात्स्यिकी और भविष्य के लिए निरंतर मछुआरा कल्याण के लिए स्थान-विशिष्ट कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के विकास को सक्षम करेंगे।